



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23576-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 758/2026

शिवेन मिश्रा एवं 3 अन्ययाचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्यप्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता : अनिल कुमार

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, सुनील कुमार तिवारी, विकास कुमार तिवारी

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार तिवारी को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका याचीगण द्वारा दिनांक 28.12.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिससे मुकदमा अपराध संख्या 724/2025, धारा 115(2), 131, 109, 351(3) बी.एन.एस., 2023, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर उत्पन्न हुआ है, को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचीगण पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्हें दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।
4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचीगण के विरुद्ध कोई भी आरोपित अपराध प्रकट नहीं होता है।
5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि उक्त घटना के संबंध में, श्रीमती निर्मला देवी द्वारा सूचनाकर्ता सहित नौ अभियुक्तों के विरुद्ध एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, इसलिए आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किए जाने योग्य है।
6. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा बाद में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दिनांक 27.12.2025 को दोपहर लगभग 01.00 बजे, याचीगण घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़ितों पर लाठी-डंडों से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप संत प्रसाद तिवारी और राम बहादुर तिवारी को गंभीर चोटें आई हैं और उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है।

7. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचीगण के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इसलिए, माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी, (2017) 2 एससीसी 779 में रिपोर्ट किए गए मामले, नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) एससीसी ऑनलाइन एससीसी 315 में रिपोर्ट किए गए मामले और माननीय शीर्ष न्यायालय के हालिया निर्णय दाण्डिक अपील संख्या 843/2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य में प्रतिपादित विधि के आलोक में आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है।
8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचीगण द्वारा लाठी-डंडों से किए गए हमले के कारण दो पीड़ितों, संत प्रसाद तिवारी और राम बहादुर तिवारी को गंभीर चोटें आई हैं और उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है, तथा इस तथ्य को देखते हुए कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट याचीगण के विरुद्ध संज्ञेय अपराध प्रकट करती है और चोटें आने के तथ्य को नोट करते हुए, हमारी यह राय है कि इस स्तर पर आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से तब जब दोनों पक्षों की ओर से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हैं और दोनों पक्षों को चोटें आई हैं, इसलिए आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।
9. वर्तमान रिट याचिका गुणदोष के अभाव में तदनुसार खारिज की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजिव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

वी.के.जी.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"